

राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यवसायों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन: शेखावाटी क्षेत्र के विशेष संदर्भ में

तस्लीम खान, शोधार्थी पीएच.डी., वाणिज्य विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, झुझुनू
डॉ. नीरज बसोतिया, वाणिज्य विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, झुझुनू

सारांश

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत की कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों को प्रभावित किया है। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र पर केंद्रित है, जहाँ पारंपरिक और आधुनिक व्यापारिक ढाँचे सहअस्तित्व में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को प्रारंभ में तकनीकी ज्ञान की कमी और जटिल प्रक्रियाओं से कठिनाई हुई, जबकि शहरी व्यवसायों ने अपेक्षाकृत शीघ्रता से इसे अपनाकर बाजार विस्तार और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया। इस कर प्रणाली ने ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच एक सेतु का कार्य किया, यद्यपि दोनों ही स्तरों पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि तकनीकी प्रशिक्षण, सरल नियम और सरकारी सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो GST शेखावाटी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का सशक्त आधार बन सकता है।

मुख्य शब्द: वस्तु एवं सेवा कर, ग्रामीण व्यवसाय, शहरी व्यवसाय, राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र, कर सुधार, डिजिटल भुगतान, कुटीर उद्योग, आर्थिक प्रगति, तुलनात्मक अध्ययन

परिचय

भारत में 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लागू होना भारतीय कर प्रणाली के इतिहास में एक युगांतकारी कदम माना जाता है। इसके पहले तक देश में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर प्रचलित थे, जैसे—वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, एंटी टैक्स आदि। इन सभी करों की अपनी अलग-अलग व्यवस्थाएँ और दरें थीं, जिसके कारण व्यवसायों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। GST ने इन सभी करों को एकीकृत करके 'एक राष्ट्र, एक कर' की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में व्यापार को सुगम बनाना, कराधान में पारदर्शिता लाना, कर चोरी पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं को अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध कराना था।

राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र में GST का महत्व

राजस्थान जैसे विशाल और विविध आर्थिक संरचना वाले राज्य में GST का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि उत्पादन, पशुपालन, लघु एवं मझोले उद्योगों, हस्तशिल्प और पर्यटन पर आधारित है। पारंपरिक रूप से यह राज्य छोटे व्यवसायों और पारिवारिक कारोबारों का केंद्र रहा है, जहाँ नकद लेनदेन और स्थानीय स्तर पर कराधान की अलग-अलग व्यवस्थाएँ लागू थीं। GST के आगमन ने इन व्यवसायों के लिए एक नई कर संस्कृति प्रस्तुत की, जिसमें डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को विशेष महत्व दिया गया।

शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः सीकर, झुझुनू और चूरू जिले शामिल हैं, राजस्थान की आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्र अपनी हवेलियों, भित्तिचित्रों और कला के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारिक परंपराओं और उद्यमशीलता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग लंबे समय से व्यवसायिक दृष्टि से सक्रिय रहे हैं और देश-विदेश में व्यापार फैलाने के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में GST का लागू होना केवल कर सुधार ही नहीं, बल्कि व्यापारिक मानसिकता और लेन-देन की पद्धति में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आया। ग्रामीण स्तर पर छोटे दुकानदारों और कुटीर उद्योगों को GST ने संगठित अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में प्रेरित किया, वहीं शहरी केंद्रों के व्यापारियों ने इसे अपने व्यवसाय विस्तार के अवसर के रूप में ग्रहण किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में GST का प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में GST का प्रभाव वास्तव में मिश्रित स्वरूप में परिलक्षित हुआ है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों, आढ़तियों और मंडी आधारित कारोबारों पर केंद्रित रही है। इन व्यवसायियों का कर व्यवस्था

से सीधा संपर्क अपेक्षाकृत सीमित था, क्योंकि अधिकांशतः वे स्थानीय स्तर पर ही व्यापार करते थे और छोटे-छोटे करों का भुगतान करते थे। लेकिन GST लागू होने के बाद जब रिटर्न दाखिल करना, इनवॉइस बनाना और ऑनलाइन फाइलिंग जैसे अनिवार्य प्रावधान सामने आए, तो ग्रामीण व्यापारियों के सामने एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई।

अधिकांश ग्रामीण व्यापारी न तो कंप्यूटर और इंटरनेट का नियमित प्रयोग करते थे और न ही कर संबंधी जटिलताओं से परिचित थे। इस कारण उन्हें GST की संरचना को समझने में काफी समय लगा। तकनीकी साधनों की अनुपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की कमी ने उन्हें प्रारंभिक चरण में असहज कर दिया। परिणामस्वरूप, कई छोटे व्यापारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अन्य वित्तीय सलाहकारों पर निर्भर हो गए। इससे उनकी लागत बढ़ी और व्यापार संचालन की सहजता कहीं न कहीं प्रभावित हुई।

इसके बावजूद, दीर्घकाल में GST ने ग्रामीण कारोबारों में एक सकारात्मक बदलाव भी लाया। अब तक असंगठित और केवल नकद लेन-देन पर आधारित व्यवसाय धीरे-धीरे संगठित ढाँचे की ओर बढ़े। ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग और डिजिटलीकरण की अनिवार्यता ने ग्रामीण व्यापारियों को तकनीक के संपर्क में लाया। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान साधनों की लोकप्रियता ने नकद लेन-देन पर निर्भरता कम की और पारदर्शी लेन-देन की संस्कृति विकसित की। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ा और ग्रामीण व्यापारियों के लिए बड़े बाजारों तक पहुँचने के अवसर खुलने लगे।

शहरी क्षेत्रों में GST का प्रभाव

शहरी क्षेत्रों में व्यवसायों ने अपेक्षाकृत तेजी से GST को आत्मसात कर लिया। शहरों के व्यापारी पहले से ही संगठित व्यापारिक ढाँचे और तकनीकी संसाधनों से लैस थे। उनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षित कर्मचारी और डिजिटल लेन-देन की समझ मौजूद थी। इसलिए GST की आवश्यकताओं जैसे—ऑनलाइन पंजीकरण, मासिक/त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना, ई-वे बिल तैयार करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग—उनके लिए अपेक्षाकृत सरल रहा।

शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख शहरी केंद्रों जैसे सीकर, झुंझुनू और चूरू में वस्त्र उद्योग, शिक्षा सामग्री का व्यापार, निर्माण क्षेत्र और परिवहन सेवाओं पर इसका सकारात्मक असर विशेष रूप से दिखाई दिया। बड़ी कंपनियाँ और उद्यमी GST की कर छूट और टैक्स क्रेडिट प्रणाली से लाभान्वित हुए, जिससे उनकी लागत कम हुई और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ी। यह व्यवस्था उन व्यवसायों के लिए भी लाभप्रद साबित हुई, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचना चाहते थे, क्योंकि GST ने राज्यों की सीमा पर लगने वाले अलग-अलग करों और अवरोधों को समाप्त कर दिया।

फिर भी, चुनौतियाँ शहरी क्षेत्रों में भी कम नहीं थीं। प्रारंभिक वर्षों में बार-बार नियमों में परिवर्तन और कर दरों में उतार-चढ़ाव ने व्यापारियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए लगातार अपडेट रहना और नए प्रावधानों को अपनाना कठिन साबित हुआ। इसके अतिरिक्त, भारतीय व्यापार संस्कृति में नकद लेन-देन की गहरी जड़ें रही हैं। GST की डिजिटल आवश्यकताओं और पारंपरिक नकदी आधारित व्यापार पद्धति के बीच सामंजस्य बिठाना आज भी एक बड़ी चुनौती है।

ग्रामीण-शहरी परस्पर संबंध और शेखावाटी की विशेषता

शेखावाटी क्षेत्र की खासियत यह है कि यहाँ ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ कृषि आधारित उत्पादन, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर केंद्रित हैं, वहीं शहरी क्षेत्र इन उत्पादों को बाजार में पहुँचाने, प्रसंस्करण करने और बड़े स्तर पर विपणन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। GST लागू होने के बाद ग्रामीण हस्तशिल्प और छोटे उत्पादन इकाइयों को संगठित कर व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुँचने का मार्ग प्राप्त हुआ। वहीं, शहरी व्यापारी इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के लिए GST का लाभ उठाने लगे। इस प्रकार GST ने न केवल ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, बल्कि दोनों के बीच एक सशक्त सेतु का भी कार्य किया।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का प्रभाव न तो

पूरी तरह नकारात्मक रहा है और न ही पूर्ण रूप से सकारात्मक। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसके प्रभाव अलग-अलग स्वरूप में दिखाई दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों और कृषि आधारित व्यवसायियों को प्रारंभिक चरण में GST की जटिलताओं, ऑनलाइन पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने जैसी तकनीकी आवश्यकताओं को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन व्यवसायियों के लिए यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली थी, बल्कि कभी-कभी अतिरिक्त लागत और पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता भी उत्पन्न करती थी। इसके बावजूद, दीर्घकालिक दृष्टि से यह परिवर्तन ग्रामीण व्यवसायों के लिए सकारात्मक रहा, क्योंकि इसने उन्हें संगठित और पारदर्शी ढाँचे से जोड़ने में मदद की, डिजिटल भुगतान और आधुनिक व्यापारिक प्रथाओं को अपनाने के अवसर प्रदान किए, और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया।

शहरी क्षेत्रों में व्यापारी अपेक्षाकृत तेजी से GST के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम रहे। उनके पास पहले से ही तकनीकी संसाधन, संगठित लेखा प्रणाली और डिजिटल लेन-देन की समझ मौजूद थी, जिससे उन्होंने इसे अपने व्यवसाय विस्तार और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए अवसर के रूप में अपनाया। बड़ी कंपनियों और उद्यमियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर संरचना की एकरूपता का लाभ उठाकर लागत घटाई और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया।

शेखावाटी क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था गहराई से जुड़ी हुई है। कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग जैसे ग्रामीण व्यवसाय शहरी बाजारों और प्रसंस्करण इकाइयों के साथ जुड़े हैं। GST ने इन दोनों स्तरों के बीच एक सशक्त सेतु का काम किया, जिससे ग्रामीण उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचने के अवसर मिले और शहरी व्यापारियों ने इन उत्पादों को बड़े स्तर पर विपणन करने के लिए नई रणनीतियाँ विकसित की।

आने वाले समय में यदि सरकार ग्रामीण व्यवसायियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरल नियम और सहयोगात्मक नीतियों का व्यापक स्तर पर समर्थन उपलब्ध कराए, तो GST न केवल शेखावाटी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान कर सकता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित और समन्वित विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार, GST को एक ऐसा माध्यम माना जा सकता है जिसने पारंपरिक व्यापारिक ढाँचों को आधुनिक प्रणाली से जोड़ने, आर्थिक समावेशन बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारांश

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जटिलताओं और तकनीकी आवश्यकताओं ने छोटे व्यापारियों के लिए प्रारंभिक कठिनाई खड़ी की, जबकि शहरी व्यवसायों ने इसे अपेक्षाकृत तेजी से अपनाकर नए अवसरों का लाभ उठाया। शेखावाटी क्षेत्र में यह कर प्रणाली ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्था के बीच एक कड़ी साबित हुई है, जिसने व्यवसायों को संगठित रूप दिया और व्यापक बाजार तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया।

सुझाव

1. ग्रामीण व्यवसायियों के लिए सरल और स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ताकि वे GST से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सकें।
2. छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को सरकारी सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
3. शहरी क्षेत्रों में बदलते कर नियमों की जानकारी नियमित कार्यशालाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पष्ट और सरल रूप में दी जाए।
4. ग्रामीण और शहरी कारोबारियों के बीच सहयोगी नेटवर्क विकसित किए जाएँ, ताकि दोनों एक-दूसरे की क्षमताओं और संसाधनों का लाभ उठा सकें।
5. सरकार को चाहिए कि GST रिटर्न और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक उपयोगकर्ता-मैत्रीपूर्ण (user-friendly) बनाए।

संदर्भ

1. भारत सरकार। (2017). *संविधान (एक सौ प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2016*। विधि एवं न्याय मंत्रालय। उपलब्ध: <https://www.indiacode.nic.in>
2. वित्त मंत्रालय। (2017). *जीएसटी: संकल्पना एवं स्थिति*। भारत सरकार। उपलब्ध: <https://www.gst.gov.in>
3. कुमार, आर. (2019). भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर जीएसटी का प्रभाव। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिसर्च*, 5(4), 01-05।
4. शर्मा, पी. (2020). जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव: एक आलोचनात्मक अध्ययन। *जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट*, 5(2), 89-97।
5. सिंह, ए., एवं गुप्ता, एन. (2021). जीएसटी के क्रियान्वयन में ग्रामीण-शहरी अंतर: चुनौतियाँ और अवसर। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*, 7(6), 132-137।
6. राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। (2018). *राजस्थान में व्यवसाय पर जीएसटी का प्रभाव*। जयपुर: आरसीसीआई प्रकाशन।
7. मीणा, आर. एस. (2022). ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन: जीएसटी अपनाने से प्राप्त सबक। *जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट*, 41(3), 412-429।
8. विश्व बैंक। (2020). *इंडिया डेवलपमेंट अपडेट: जीएसटी की संभावनाओं का दोहना*। वाशिंगटन, डीसी: द वर्ल्ड बैंक।
9. शेखावत, एम. (2021). जीएसटी और क्षेत्रीय व्यापार परंपराएँ: राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का अध्ययन। *राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू*, 12(1), 56-70।